दिनांक	आज्ञा - पत्र
	कार्यवाही हेतु दिनांक 18/6/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय)
18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने शेष साक्ष्य बंद करने हेतु निवेदन किया। निवेदन स्वीकार किया जाता है। साक्ष्य वादी बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 25/6/24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस बाद मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है। व वादी वकील ने उद्घोषणा की सहायता हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। निर्णय/डिक्री अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर यह फैसला दिनांक 25/6/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर

पीठासीन अधिकारी– मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः–22/2019 दावा

1. श्रीमति संतोष पत्नि गोपाल उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

वादिया

बनाम

1. सज्जन कुमार आयु 51 वर्ष जाति जाट निवासी सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
2. तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री नानूराम, वकील वादी की ओर से।

वाद बाबत उदघोषणा बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः–25.06.2024

:निर्णयः

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि वाकै ग्राम सेवा पटवार हल्का सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 है जिसका एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 है जिसने दिनांक 24.01.2019 को खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 में से रकबा 0.0476 है0 कृषि भूमि वादिया को विक्रय कर अपने फूट स्टेप पर काबिज करवा दिया। विक्रय पत्र उपपंजियक धोद के यहा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में पृष्ट संख्या 126 कम संख्या 201903501100370 पर पंजीबद्ध किया गया इसलिए वादिया वाकै ग्राम सेवा पटवार हल्का सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 में से रकबा 0.0476 है0 कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार उद्घोषित होने की अधिकारी है।

प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 05.03.2019 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिर्स्टड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की विधिवत रजिर्स्टड तामील के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही होने पर दिनांक 07.04.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 तथा दिनांक 27.05.2024 को प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 27.05.2024 को वकिल वादिया ने वादी साक्ष्य हेतु शपथ पत्र पेश किया व शपथ दिलवायी गई तथा दस्तावेजो पर प्रदर्श संख्या अंकित करवायी गई। वकिल वादिया ने जरिये हस्ताक्षर आर्डरशीट प्रकरण मे उद्घोषणा की सहायता हेतु सहमति व्यक्त की

बहस वकील वादी सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2079 प्रदर्श संख्या 2 में राजस्व ग्राम सेवा पटवार हल्का सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 का एकमात्र खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 है जिसने

जरिये विकय पत्र उपपंजियक धोद के यहा पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 135 में पृष्ट संख्या 126 कम संख्या 201903501100370 पर पंजीबद्ध प्रदर्श संख्या 1A में वादिया को कृषि भूमि खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 में से 0.0476 है0 भूमि का विकय कर दिया था। इसलिए न्यायालय वादिया को पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, वादी सक्ष्य व राजस्व रिकार्ड प्रदर्श संख्या 1A व 2 के आधार पर वाकै ग्राम सेवा पटवार हल्का सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण में अवस्थित खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 में से रकबा 0.0476 है0 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाना न्यायोचित समझता है।

आदेश

अतः वादी वाद स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर खसरा नम्बर 792/251 रकबा 0.1165 है0 में से रकबा 0.0476 है0 वाकै ग्राम सेवा पटवार हल्का सेवा तहसील धोद में अवस्थित कृषि भूमि का वादिया श्रीमति संतोष पत्नि गोपाल जाति जाट निवासी ग्राम सेवा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। प्रकरण में अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार सीकर ग्रामीण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दर्ज करे।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है दाखिल दफ्तर हो।

(मुनेश कुमारी)
सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर

यह फैसला आदिनांक ....को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय), सीकर